आरक्षित निर्णय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

सरकारी अपील संख्या. 13/2011

उत्तराखंड राज्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

इंद्र शर्मा और अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

उपस्थित :-

श्री जे.एस. श्री विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता श्री राकेश जोशी, राज्य/ याचिकाकर्ता के लिए विद्वान संक्षिप्त धारक।

श्रीमती पुष्पा जोशी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित कापड़ी, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त। ।

श्री तुमुल के. नैनवाल, अधिवक्ता, विद्वानन्यायालय मित्र प्रत्यर्थी संख्या 3,4,6 और 7 के लिए ।

आरक्षित: 19.10.2020

वितरित: 30.12.2020

कोरमः माननीय सुधांशु धूलिया, न्या

माननीय आलोक कुमार वर्मा, न्या

प्रतिः माननीय आलोक कुमार वर्मा, न्या

राज्य द्वारा यह अपील प्रथम फास्ट ट्रैक न्यायालय/अतिरिक्त सत्र विद्वान न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा 2008 सत्र विचारण संख्या.279, "राज्य बनाम इंद्र शर्मा और छह अन्य" में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2010 विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिससे प्रत्यर्थी/अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 34 विद्वान साथ पठित धारा 302 और आई.पी.सी की धारा 120 बी साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया जाता है।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 13.07.2007 को सायं: 08.40 बजे , एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।संजीव उपनाम जीवा, इंद्र शर्मा, नागेंद्र ब्रह्मचारी और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सूचना देने वाली श्रीमती सरोज, पत्नी मृतक हरवीर सिंह देवीद्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर, इसमें आरोप लगाया कि सुभाष सैनी की एक जमीन की देखभाल उनके पति द्वारा लगभग 15 वर्षों से की जा रही थी।वह जमीन

बाई पास रोड खानखल में स्थित थी।इंद्र शर्मा, संजीव उपनाम जीवा, जो जेल में थे, और नागेंद्र ब्रह्मचारी उस जमीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन उनके पति के कारण उनका इरादा सफल नहीं हो सका। 13.07.2007 को लगभग सायं: 7.30 - 8.00 बजे. पर, उसके पति और सुभाष सैनी घर के बाहर बैठे थे, जबकि वह दरवाजे पर खड़ी थी।उस समय, इंद्र कुमार शर्मा, नागेंद्र ब्रह्मचारी और एक अज्ञात व्यक्ति, जिसे वह और सुभाष सैनी पहचान सकते है, डॉक्टर की दुकान के किनारे से उनके पति के पास आए।इंद्र कुमार शर्मा और नागेंद्र ब्रह्मचारी ने उसके पति की ओर इशारा किया और उस व्यक्ति को उसे मारने के लिए कहा।इस व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और उसके पति पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।उसका पति उठा और भाग गया, लेकिन गोली लगने से वह नीचे गिर गया।ये तीनों लोग होटल रॉयल इन की ओर भागे। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया।महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों ने डर से अपने घरों को बंद कर दिया।सुभाष सैनी और उनके बेटे उनके पति को अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

3. 13.07.2007 को, पुलिस द्वारा मौके से पांच मृत कारतूस और चार गोलियां ले ली गईं।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 174 से जांच की कार्यवाही 14.07.2007 को हुई। जाँच कार्यवाही के समय, मृतक के कपड़ों से एक गोली बरामद की गई थी।कैलाश पंवार, जाँच अधिकारी ने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया।मृतक के शव का पोस्टमार्टम 14.07.2007 को किया गया था। जांच के दौरान आरोपी अनुज त्यागी, सुशील देशवाल, सुनील शर्मा, रवि उपनाम अभिषेक शर्मा और अमित मलिक के नाम सामने आए।जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया ।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। आईपीसी की धारा 302 सहपठित 34 और धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए गए थे। आरोपी व्यक्तियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 10 गवाहों को भी परीक्षित कराया।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए।

7. अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया।पक्षकारों को सुनपश्चात विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया।इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध उनकी मृत्यु के कारण तत्काल अपील को समाप्त कर दिया गया है।

9. हमने श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता, श्री राकेश जोशी, राज्य/अपीलकर्ता के विद्वान संक्षिप्त धारक और श्रीमती पुष्पा जोशी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित कापड़ी, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता के साथ को सुना है और आक्षेपित निर्णय और आदेश और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3, 4, 6 और 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

10. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान को मजबूत करता है, लेकिन यह देखना न्यायालय का समान रूप से कर्तव्य है कि दोषी सजा से न बचे।हम इन सिद्धांतों के आलोक में तत्काल मामले पर विचार करेंगे।इसलिए, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक अभिगम किया है।

11. अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीमती. सरोज सिंह, मृतक की पत्नी , पीडब्लू-1, मुखबिर और सुभाष सैनी, पीडब्लू-2, चश्मदीद गवाह हैं।उन दोनों ने अपनी जाँच में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। श्रीमती. सरोज सिंह, पीडब्लू-1 ने अपने परीक्षण प्रमुख में कहा कि घटना के समय वह घर के अंदर थीं।उसने गोलियों की आवाज सुनी।लेकिन, उसने किसी हमलावर को नहीं देखा।उसने भीड़ में सुना कि आरोपी व्यक्ति इंद्र शर्मा, नागेंद्र ब्रह्मचारी और एक अज्ञात व्यक्ति मौके पर मौजूद थे।उसने कहा कि उसने भीड़ में शामिल व्यक्तियों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

12. सुभाष सैनी, पीडब्लू-2 ने अपदस्थ किया कि उन्होंने कथित घटना को देखा था। उन्होंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। इस प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, पुलिस ने मौके से कोई गोली या मृत कारतूस नहीं लिए थे।

13. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता निम्नलिखित परिस्थितियों से संबंधित हैं:

(i) कि जय देव आर्य, पीडब्लू-5 का साक्ष्य प्रत्यर्थी-अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

(ii) कि एक रिवॉल्वर, जिसका उपयोग अपराध में किया जा रहा था, प्रत्यर्थी-आरोपी अमित मलिक की निशानदेही पर दो जीवित कारतूसों के साथ बरामद किया गया था।

(iii) कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त अमित मलिक ने अपना अपराध स्वीकार किया कि मृतक की हत्या बरामद रिवॉल्वर से की गई थी।

14. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-3 हरिओम सिंह जाँच कार्यवाही का गवाह था।पीडब्लू-3 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई थी।

15. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-4 उपहार कुमार जांच की कार्यवाही और घटना स्थल से खाली कारतूसों की बरामदगी का गवाह था।पीडब्लू-4 उपहार कुमार ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

16. पीडब्लू-6 डॉ. सुरेश अग्रवाल ने 14.07.2007 को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। उनके अनुसार, मौत का कारण पूर्व-शव परीक्षण आग्नेयास्त्र की चोट के कारण सदमे और रक्तस्राव था।

17. पीडब्लू-7 कांस्टेबल अमन सिंह चिक रिपोर्ट का मुंशी है। एक्सटेंशन का- 9.

18. पीडब्लू-8 कैलाश पंवार पहले जांच अधिकारी थे।

19. पीडब्लू-9 आर.बी. चमोला, सब-इंस्पेक्टर और पीडब्लू-10 सुंदर लाल, सब-इंस्पेक्टर ने जांच में पीडब्लू-8 कैलाश पंवार का समर्थन किया।

20. श्री जे.एस. विर्क राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान उप महाधिवक्ता , पीडब्लू-5 जय देव आर्य, जांच अधिकारी अभियोजन पक्ष के स्टार गवाह हैं।पीडब्लू-8 कैलाश पंवार के स्थानांतरण पश्चात पीडब्लू-5 जेल देव आर्य द्वारा अग्रेतर की जांच की गई।

21. पीडब्लू-5 जय देव आर्य ने बताया कि उन्होंने आरोपी सुनील शर्मा उपनाम गणेशी का बयान 04.09.2007 को जिला जेल, रोशनाबाद, जिला हरिद्वार में, आरोपी सुशील देशवाल का बयान 12.09.2007 को जेल में, आरोपी अमित मलिक का बयान 13.11.2007 को जिला जेल रोशनाबाद, जिला हरिद्वार में, आरोपी संजीव उपनाम जीवा का बयान 26.02.2008 को गाजीपुर जेल में दर्ज किया और इन अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

22. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 मोटे तौर पर लिखी गई है और इसमें अभियुक्त द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति को साक्ष्य खंड बाहर रखा गया है और किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस की हिरासत में रहते हुए किया गया स्वीकारोक्ति भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है।

23. पीडब्लू-5 जय देव आर्य ने बताया कि आरोपी सुनील शर्मा को 09.09.2007 को पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उसके कहने पर उसके घर से एक मोबाइल फोन नंबर 9917654114 बरामद किया गया था। पीडब्लू-5 जय देव आर्य के अनुसार, इस मोबाइल फोन से आरोपी संजीव उपनाम जीवा से उसके मोबाइल फोन नंबर 9452271974 पर 03.07.2007 से 24.07.2007 तक मृतक की हत्या के संबंध में बातचीत हुई थी।

24. जिरह के दौरान श्री जे.एस. विर्क, उप महाधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उक्त मोबाइल कॉल विवरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं हुए हैं।

25. यह अच्छी तरह तय किया गया है कि धारा 59 और 65-ए को देखते हुए साक्ष्य अधिनियम के से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मात्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही साबित किया जा सकता है। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा 65-बी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है।

26. पीडब्लू-5 जय देव आर्य ने कहा कि आरोपी अमित मलिक के कहने पर दो जिंदा कारतूसों के साथ एक हथियार रिवॉल्वर बरामद की गई और आरोपी अमित मलिक ने अपना अपराध स्वीकार किया कि मृतक की हत्या बरामद रिवॉल्वर से की गई थी।

27. पीडब्लू-5 जय देव आर्य ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उक्त रिवॉल्वर के वसूली ज्ञापन के पहले पृष्ठ पर न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं और न ही आरोपी के।

28. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए, न्यायालय को साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। पीडब्लू-5 का कथन आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

29. सतपाल बनाम हरियाणा राज्य, 2018 (2) सी. सी. एस. सी. 1104 (एस. सी.) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से स्वीकारोक्ति के आधार पर कोई भी वसूली दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।

30. यद्यपि मृतक के शव पर आग्नेयास्त्र के घाव पाए गए थे और मृतक की मृत्यु हत्या थी, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि मृतक की मृत्यु उत्तरदाता-अभियुक्त व्यक्तियों के कारण हुई थी और सभी मानवीय संभावनाओं में, यह कार्य मात्र उत्तरदाता-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया होगा।

31. भगवान सिंह और अन्य बनाम राज्य M.P., (2002) 4 SCC 85 में, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने कहा कि आपराधिक मामले में न्यायाधीश के प्रशासन के जाल के माध्यम चलने वाला सुनहरा धागा यह है कि यदि मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही का, वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए।

32. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक बुनियादी नियम भी है कि संदेह, यद्यपि मजबूत सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य, ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3817 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है, यद्यपि जो "सिद्ध" किया जा सकता है यद्यपि जो "सिद्ध" किया जाएगा, उसके बीच एक बड़ा अंतर है।"आपराधिक

विचारण में, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही दी जानी चाहिए।यही कारण है कि "हो सकता है" और "होना चाहिए" के बीच की मानसिक दूरी काफी बड़ी है, और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।आपराधिक मामले में, अदालत का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी सबूत का स्थान न ले। "सत्य हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की बड़ी दूरी, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और अचूक साक्ष्य के माध्यम से कवर की जानी चाहिए, इससे पहले कि एक अभियुक्त को एक दोषी के रूप में निंदा की जाए, और बुनियादी और सुनहरा नियम होना चाहिए लागू।

33. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अपने मामले को साबित करने के लिए कोई सकारात्मक और निर्णायक सबूत अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि प्रत्यर्थी मृतक की हत्या करने के दोषी थे।

34. नतीजतन, अपील का कोई औचित्य नहीं है।अपील खारिज की जा सकती है। अतः 2011 की सरकारी अपील सं. 13 खारिज की जाती है।प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 व 6 के जमानती बंधपत्र निरस्त कर उनकी जमानत ख़ारिज की जाती है।

(आलोक कुमार वर्मा, न्या.) (सुधांशु धूलिया, न्या.)

30.12.2020

जे के जे/संजय